न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 130 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : **2023 / 195**

1. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर**

–प्रार्थी

बनाम

1. **हंसराज पुत्र मेहरचन्द जाति ओड़ निवासी पदमपुर हाल गोमावाली**

–अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रार्थी
2. एकपक्षीय, अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :29.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. हस्तगत प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ (प्र.सं. 491 / 13) से क्षेत्राधिकारी परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है जिसका निस्तारण किया जा रहा है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा राजस्थान स्टेट की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोमावाली में खसरा सं. 1 में 1.00 बीघा, खसरा सं. 10 में 1 बीघा, 114 में 190–14 बीघा, 11 में 130–11 बीघा, खसरा सं. 113 में 9–06 बीघा कुल 332–11 बीघा भूमि जोहड़ मय पायतन दर्ज थी। उपनिवेशन विभाग की चकबन्दी के दौरान उक्त खसरा सं. 113 चक 8 जीएम प.नं. 183 / 27 कि.नं. 3 ता 8, 13 ता 15 का 9.00 बीघा, खसरा सं. 114 चक 8 जीएम के प.नं. 183 / 26 कि.नं. 4, 6ता9, 11ता25 का 20 बीघा, प.नं. 183 / 19 कि.नं. 1 ता 25, का 25 बीघा, प.नं. 183 / 27 कि.नं. 1,2,9 ता 12, 17 ता 23 का 13 बीघा, प.नं. 183 / 28 कि.नं. 1ता3, 8ता11, 21 का 8 बीघा, प.नं. 183 / 20 कि.नं. 1ता 25 का 25 बीघा, प.नं. 183 / 12 कि.नं. 1ता 25 का 25 बीघा, प.नं. 183 / 4 कि.नं. 4 ता 6, 15, 16, 25 का 6 बीघा, प.नं. 183 / 13 कि.नं. 1ता15, 17ता22 का 21.00 बीघा, प.नं. 183 / 21 कि.नं. 1ता5, 8ता11, 25 का 9 बीघा व चक 9 जी.एम. का प.नं. 183 / 18 कि.नं. 14ता16,18,19,21 ता 23, 25 का 9 बीघा, प.नं. 183 / 10 कि.नं. 25 का 1 बीघा, प.नं. 183 / 3 कि.नं. 14 ता 17, 24, 25 का 6.00 बीघा, प.नं. 183 / 11 कि.नं. 3 ता 25 का 23 बीघा कुल 191 बीघा के रूप में सीमांकित किया गया। उक्त वर्णित 191 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित थी। तथा वर्षा के जल के भराव तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत होने के कारण इस भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी हैं।

इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को निर्णय पारित किया गया हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने याचिका सं. 11153 / 2011 में दिनांक 29.05.2012 को इस विषय में आदेश दिया हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं. 1132 / 11 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया हैं। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र सं. 6782–6812 दिनांक 24.12.2004 तथा राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र सं. प.10(3) राज–6 / 2001 पार्ट / 5 दिनांक 26.06.2012 एवं परिपत्र सं. प.3(146)राज–7 / 2011 दिनांक 26.06.2012 जारी किये गये हैं।

उक्त भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। जोहड़ हेतु आरक्षित उक्त भूमि में से चक 9 जी.एम. के प.नं. 183 / 10 कि.नं. 25 का 1.00 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 21.05.1975 से अप्रार्थी हंसराज को आवंटन होकर खातेदारी हैं। राजस्व रिकार्ड में भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हैं। जो

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

कि गैर कानूनी हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार आवंटन खारिज करते हुए भूमि को गै.मु. जोहड़ मय पायतन दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 14.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि जोहड़ की थी, जो आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। इसलिए आवंटन निरस्त करने तथा भूमि को रिकार्ड में गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने के आदेश के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस करने के लिए निवेदन किया।

3. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि –

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

4. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता हैं। प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी आदि के अनुसार भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती थी। अतः अप्रार्थी के पक्ष में पारित आवंटन आदेश अवैध होने के कारण आवंटन खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से रेफरेंस किये जाने की हद तक स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)